78

संख्या– /XXVIII–4–2014–51(11)/2012

प्रेषक

अतर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून ।

चिकित्सा अनुभाग– 4 देहरादून : दिनांक 07 नवम्बर, 2014

विषय– जी0वी0के0ई0एम0आर0आई0–108 आपातकालीन सेवा के लिये धन आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–6प/नियो0/49/2007/टी.सी./24534, दिनांक 12.06.2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जी0वी0के0 ई0एम0आर0आई0–108 आपातकालीन सेवा के संचालन हेतु संलग्नक में अंकित विवरणानुसार अनुदान संख्या–12 के अन्तर्गत कुल रू0 180 लाख (रू0 एक करोड़ अस्सी लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करते हुये आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर ई0एम0आर0आई0 संस्था को 108 आपातकालीन सेवा के संचालन के लिये वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा।
2. धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर ही किया जायेगा। अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में धनराशि का अनावश्यक व्यय कदापि न किया जाय।
3. विभिन्न सामग्री आदि के क्रय/अधिप्राप्ति में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।
4. धनराशि का आहरण/व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि योजना का संचालन राज्य सरकार तथा ई0एम0आर0आई0 के मध्य दिनांक 08.03.2008 को किये गये विस्तृत अनुबन्ध (एम0ओ0यू0) तथा व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 14.03.2008 में दिये गये दिशा–निर्देशों/शर्तो के अनुसार ही धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा। यदि कोई अनियममितता पायी जाती है तो इस हेतु महानिदेशालय के सम्बन्धित अधिकारी/आहरण–वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
5. उक्त धनराशि का आहरण/व्यय यथावश्यकता मितव्ययिता को ध्यान में रखकर नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में अनुबन्ध में उल्लिखित शर्तों के अनुसार समय–समय पर ऑडिट की कार्यवाही सम्पन्न कराया जाय एवं शासन को अवगत कराया जाय।
7. वित्त विभाग के शासनादेश सं0–284/XXVII(1)/2013, दिनांक 30.03.2012 में निहित निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जायेगा।

8. उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2014–15 के अनुदान संख्या–12 में अंकित लेखाशीर्षक 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 06 लोक स्वास्थ्य 101–रोगों का निवारण तथा नियंत्रण 99–राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन 20–सहायक अनुदान/ अंशदान/ राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–193(P)/XXVII(3)2014-15 दिनांक 07 नवम्बर, 2014 के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्न : साफ्टवेयर आवंटन की प्रति।

भवदीय,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या–1461(1)/XXVIII-4–2014–51(11)/2012 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून ।
2. आयुक्त कुमांऊ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
4. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
5. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड ।
6. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून ।
7. प्रबन्धक ई0एम0आर0आई0, हैदराबाद।
8. चीफ आपरेटिंग ऑफिसर, प0 दीन दयाल उपाध्याय चिकित्सालय, देहरादून ।
9. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. चिकित्सा अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3
12. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।